प्रक० 91/25 152 CPC Gcms-2025/159

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
16.06.2025	आज यह पत्रावली प्रार्थी आत्मप्रकाश पुत्र हरीचन्द के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण हाजा में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2024 द्वारा कि.नं. 6/2 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जबकि कि.नं. 6/2 में 0.012है. भूमि ही है, आदेश में संशोधन कर कि.नं. 6/2 में 8.25X16.50 वर्गफुट यानि 0.012है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भी अपने पत्रांक/435 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा भी इसी संबंध में संशोधित आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की भूमि कि.नं. 6/2 में से दो बिस्वा रास्ता चाहा गया था जो कि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.11.2024 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी व तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/435 दिनांक 10.06.2025 के अनुसार कि.नं. 6/2 में 0.012है. यानि 1 बिस्वा भूमि ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 में संशोधन किया जाना अत्यंत आवयक एवं न्यायपूर्ण है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151–152 के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2024 में क्रियान्व्यन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कि.नं. 6/2 में दो बिस्वा रास्ता के स्थान पर कि.नं. 6/2 में राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि 0.012है. यानि 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इस आदेश को मूल आदेश दिनांक 16.11.2024 का भाग समझा जावे। प्रार्थना पत्र फैंसले में शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:41:17 IST
Reason: SelfAttested